न्यायालय अति0जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

तारीख रज्जू–05/12/22

प्रार्थना पत्र – 34/22

1 सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर। —— प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पुत्र गुलाब जाति मीना निवासी डोब – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 05/08/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को डोब में स्थित आवंटित भूमि खं0नं0 421 रकबा 0.23 है0 व खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम डोब के ना0सं0 52 दिनांक 13.06.1989 के जरिये आराजी खं0नं0 421 रकबा 0.23 है0 व खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि का आवंटन हुआ था। भूमि आंवटन के बाद खं0नं0 423 रकबा 0.23 है0 व खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 दोनों खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046,2047,2048 में बजंड दर्ज है। यानि कोई काश्त नहीं की गई है। पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जीवली के वर्तमान खं0नं0 421 रकबा 0.23 है0 में मौके पर आवादी वसी हुई है तथा खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 मौके पर पड़त पड़ी हुई है तथा उक्त दोनों खसरों पर आवंटी का कब्जा नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल आधारहीन व डिफेक्टिव है। मद नं0 1 में अंकित किया है कि अप्रार्थी को नामान्तकरण दिनांक 13.06.1989 के जरिये 421 रकबा 0.23 है0 व खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि का आवंटन हुआ तथा प्रार्थना पत्र के मद नं0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जि... मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested

2 में उल्लेख है कि भूमि आवंटन के वाद खं0नं0 423 में रकबा 0.23 है0 खसरा गिरदवारी संवत् 2046,2047,2048 तीन वर्ष से बजंड दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 एक में खं0नं0 421 दर्ज है तथा मद नं0 2 में खं0नं0 423 दर्ज होने के कारण प्रार्थना पत्र वेग है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन किस दिनांक को हुआ है व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं की गई है। प्रार्थी जिस आवंटन के विरूद्ध न्यायालय हाजा में आया है उक्त आवंटन आदेश की प्रति तक संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षं की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष के तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी को ग्राम डोब के ना0सं0 52 दिनांक 13.06.1989 के जरिये आराजी खं0नं0 421 रकबा 0.23 है0 व खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि का आवंटन हुआ था तथा भूमि आंवटन के बाद खं0नं0 423 रकबा 0.23 है0 व खं0नं0 555 रकबा 0.08 है0 दोनों खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046,2047,2048 में बजंड दर्ज है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह संबंधित आवंटन आदेश मय आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति सहित पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:27 IST
Reason: SelfAttested